

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 085/2023(सू.अ.) (GCMS 2023/338)	दायर दिनांक 12.12.2023	निर्णय दिनांक 31.01.2024
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

पवन चेचाणी पिता रामेश्वर लाल चेचाणी निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 70232 26822)

अपीलार्थी**बनाम**

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.10.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./085/2023(सू.अ.) (09.01.2024)/911 दिनांक 12.12.2023 से अपील में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील में एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु



सूचित किया गया। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है।

दिनांक 09.01.2023 अपील अपीलार्थी उपस्थित रहे एवं वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना जाहिर किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी से टिप्पणी/कमेंट्स पत्रांक/आरटीआई/अपील/2024/270 दिनांक 05.01.2024 से प्राप्त हुये है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/155 दिनांक 19.01.2024 से टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये है जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है। प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता से प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हुआ है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी ने अपने टिप्पणी/कमेंट्स में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/155 दिनांक 11.10.2023 से प्राप्त हुआ है। इस पर प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2023/237 दिनांक 03.11.2023 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गई है। इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने टिप्पणी/कमेंट्स में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक/आरटीआई/2023/237 दिनांक 03.11.2023 से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल



ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 09.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 से 2 से चाही गई सूचना के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा बिन्दु संख्या 1 के संबंध में स्पष्ट विवरण अंकित किया गया है एवं बिन्दु संख्या 2 से वांछित सूचना की प्रति प्रेषित की जा चुकी है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का बिन्दुवार प्रत्युत्तर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 03.11.2023 से प्रेषित किया जा चुका है। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा अपील में के साथ संलग्न दस्तावेजात से भी प्रमाणित पाया जाता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 03.11.2023 प्रेषित किया गया है जिस की छाया प्रति अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपील में के साथ संलग्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में के बिन्दु संख्या 4 में अवगत कराया गया है कि कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से चाही गई सूचना को लोक सूचना अधिकारी द्वारा तहसील कार्यालय से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं जिस कारण से तहसील कार्यालय पर अपेक्षित सूचना का उपलब्ध नहीं होना अंकित कर सूचना ही नहीं दी गई। हमने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 से वांछित सूचना तहसील कार्यालय बस्सी के संबंध में चाही गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 को तहसीलदार बस्सी को प्रेषित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि कारित किया जाना प्रतिवेदित नहीं होता है। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया है, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/कमेंट्स से पूर्ण रूपेण सहमत हैं जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन है जिससे खारीज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 का अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निस्तारण किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक



सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन-पत्र दिनांक 09.10.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्राप्त हुआ बाबत बलहीन होकर सारहीन से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बस्सी एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **31.01.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)